

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं दीन दयाल 03पाध्याय,पर्यटन भवन,

निकटदेहरादून I, गढ़ी कैन्ट, हैलीपैड ओ0एन0जी0सी0-

दूरभाषः,2559898-0135ई मेल:-tourismkarmik@gmail.com

संख्या 657 /2-2-557/2021

देहरादून,दिनांक 06जुलाई,,2021

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक विंग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ (वायु क्रीड़ा) के संविदा/नियत वेतन के सृजित पदों हेतु नियम व शर्तें

शासनादेश संख्या- 2523/VI (1)/2019-10(09) दिनांक 31.10.2019 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक पर्यटन विंग के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ (वायु क्रीड़ा) के पद हेतु संविदा/नियत वेतन के आधार पर निर्धारित योग्यता रखने भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सादे कागज पर अपना वायोडेटा विज्ञप्ति प्रकाशन होने के 01 माह के भीतर दिनांक 7.8.2021 की सांय 5.00 बजे तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को उक्त पते पर अथवा ई-मेल tourismkarmik@gmail.com पर प्रेषित/प्राप्त कराया जाना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं होंगे। पद हेतु निर्धारित अर्हताये निम्नवत है:-

क्र०सं०	पद का नाम	पद की संख्या	नियत मानदेय	भर्ती का स्रोत	नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें
1	विषय विशेषज्ञ- वायु क्रीड़ा	01	रू० 70,000/- प्रतिमाह	संविदा/नियत वेतन (चयन समिति के माध्यम से खुले बाजार से चयन द्वारा	(1) शैक्षिक योग्यता- स्नातक (2) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पायलट रैंकिंग प्राप्त। (3) वायु-क्रीड़ा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 01 प्रतियोगिता में प्रतिभाग। (4) वायु क्रीड़ा सम्बन्धी राष्ट्रीय स्तर की 02 प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग। (5) एयरो स्पोर्ट्स में बेसिक इण्टरमीडिएट एडवांस कोर्स क्वालीफाईड। (6) मास्टर अनुदेशक के रूप में पी०-5 स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र। (7) SIV कोर्स क्वालीफाईड। (8) अनुदेशक के रूप में कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

सामान्य जानकारी

- विज्ञापित पद पर चयन, विभागीय चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। अन्तिम चयन के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा, जो किसी भी न्यायालय में चुनौतीपूर्ण नहीं होगा।
- साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये कोई यात्रा / दैनिक व्यय देय नहीं होंगे।
- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत वायोडाटा में उल्लिखित समस्त अभिलेख मूल में प्रस्तुत करने होंगे। साथ में समस्त अभिलेखों की एक स्वःप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु भी प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- प्रस्तुत किये गये वायोडाटा में उल्लिखित योग्यताओं से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत न किये जा सकने पर अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की तैनाती प्रदेश के किसी भी कार्य स्थल पर की जा सकती है।

(दिलीप जावलकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।